04/2024 अ०नि० सरकार v/s मंगलचंद

13.08.24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थिया की मृत्यु दिनांक 18.2.24 को हो चुकी थी। जिसकी जानकारी न्यायालय को दिनांक 05.03.2024 को दे दी गई थी। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.5.2024 को उक्त जानकारी रिकॉर्ड पर ली जाकर प्रार्थी को अप्रार्थिया के वारिसान पक्षकार बनाए जाने के लिए पत्र भी लिखा गया था। परन्तु आज तक प्रार्थी द्वारा वारिसान पक्षकार पेश नहीं किये गए। विधि के अनुसार 90 दिन में वारिसान पक्षकार बनाने का प्रावधान है जो कि पूरा हो चुका है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि मृत्यु के 90 दिन बाद भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया के वारिसान पक्षकार बनाने की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। अत: अधिवक्ता अप्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज. भू. आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार जमा हो।

(हस्ताक्षर)

जिला कलक्टर
शाहपुरा